

सं. 1/ 27/2011- पी एंड पी डब्ल्यू (ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 01 जुलाई, 2013

#### कार्यालय जापन

विषय : स्थाई निःशक्त बच्चे/सहोदर और आश्रित माता-पिता के लिए पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण से संबंधित निर्देश । इस विभाग के दिनांक 03.08.2011 का का.जा.सं. 1/19/11- पी एंड पी डब्ल्यू (ई), दिनांक 22.06.2010 का का.जा.सं. 1/6/2008- पी एंड पी डब्ल्यू (ई) और दिनांक 20.01.1993 का का.जा. सं. 1/21/1991- पी एंड पी डब्ल्यू (ई) का संदर्भ ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि पेंशनभोगी/ कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद वृद्ध माता-पिता और निःशक्त बच्चे/सहोदर को संशोधित पेंशन अदायगी आदेश जारी करने में झेली जाने वाली परेशानियों के बारे में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में कई आवेदन प्राप्त हो रहे हैं ।

2. इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी/ पेंशनभोगी/ कुटुंब पेंशनभोगी किसी भी समय सेवानिवृत्ति/ कर्मचारी की मृत्यु से पहले या बाद में नीचे दिए गए सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 54 में निहित प्रावधानों के अनुरूप स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/सहोदर को आजीवन कुटुंब पेंशन प्रदान करने का अग्रिम अनुमोदन प्राप्त करने का नियुक्ति प्राधिकारी को अनुरोध कर सकता है :

उपनियम 6 (iv) का परंतुक (iv) : ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुंब पेंशन अनुज्ञात करने के पूर्व मंजूरी देने वाला प्राधिकारी यह समाधान कर लेगा कि असमर्थता ऐसी प्रकृति की है जिससे वह बच्चे अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं कर सकता है और इस बात के साक्ष्य स्वरूप चिकित्सा अधीक्षक अथवा संस्था के प्रधानाचार्य अथवा निदेशक अथवा प्रमुख अथवा उनके नाम-निर्देशिती तथा दो अन्य सदस्यों, जिनमें से कम से कम एक उस मानसिक अथवा शारीरिक निःशक्तता, मानसिक मंदता सहित, के क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, के चिकित्सा बोर्ड का प्रमाणपत्र लिया जाएगा, जिसमें जहां तक संभव हो, बच्चे की सही मानसिक या शारीरिक दशा का उल्लेख किया जाएगा;

उपनियम 10 (ख) : आश्रित निःशक्त सहोदर को कुटुंब पेंशन संदेय होगी यदि सहोदर मृत सरकारी सेवक की उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व सरकारी सेवक पर आश्रित था और मृत सरकारी सेवक की कोई विधवा या पात्र बच्चे या पात्र माता-पिता जीवित नहीं है ।

3. उपनियम (10-क) (नीचे प्रस्तुत) के अनुसार माता-पिता को कुटुंब पेंशन प्रदान करने की अग्रिम अनुमति के लिए कार्यालय प्रमुख से अनुरोध किया जा सकता है ।

उपनियम 10 क (क) : माता-पिता को कुटुंब पेंशन देय होगी यदि माता-पिता, सरकारी सेवक की अपनी मृत्यु के ठीक पूर्व उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं और मृत सरकारी सेवक का कोई विधवा या पात्र बच्चे जीवित न हो ।

(ख) : कुटुंब पेंशन, जब कभी माता-पिता को अनुज्ञय हो, मृत सरकारी सेवक की मां को संदेय होगी जिसके न हो सकने पर मृत सरकारी सेवक के पिता को संदेय होगी ।

4. इस प्रकार का अनुरोध स्वीकार कर लेने पर, कार्यालय प्रमुख उनकी बारी के अनुसार ऐसे बच्चे/सहोदर/ आश्रित माता-पिता को कुटुंब पेंशन प्रदान करने लिए तत्काल मंजूरी आदेश जारी करेगा। निःशक्त बच्चे/ सहोदर/ आश्रित माता-पिता को कुटुंब पेंशन प्रदान करने के लिए किसी और अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार के अनुरोधों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय प्रमुख और वेतन एवं लेखा अधिकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी की सेवा पुस्तिका और पेंशन फाइल में ऐसे निःशक्त बच्चे/ सहोदर/ आश्रित माता-पिता के विवरण रखेंगे। इस अनुमोदन के आधार पर, स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/ सहोदर/ आश्रित माता-पिता को उचित समय अर्थात् पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद और/ अथवा कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार के किसी अन्य सदस्य की मृत्यु/ अपात्रता पर पूर्व पैरा में स्पष्ट किए गए अनुसार निःशक्त बच्चे/ सहोदर/ आश्रित माता-पिता को कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

5. पति-पत्नी के अतिरिक्त कुटुंब पेंशन के लिए कोई पात्र पूर्व दावेदार न होने की स्थिति में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को जारी किए जाने वाले पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) में स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/बच्चों/सहोदर/ और/ अथवा आश्रित माता-पिता के नाम शामिल किए जा सकते हैं। इस प्रकार के मामलों में कोई नया पेंशन अदायगी आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा कुटुंब पेंशन निम्नलिखित क्रम और निम्नलिखित पद्धति में देय होगी :

(i) **पति-पत्नी को** - पेंशनभोगी की मृत्यु पर - पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर। यह कुटुंब पेंशन पति-पत्नी के मृत्यु अथवा पुनर्विवाह करने तक जारी रहेगी। निःसंतान विधवा के मामले में, नियमानुसार कुटुंब पेंशन पुनर्विवाह के बाद भी जारी रहेगी।

(ii) **स्थायी निःशक्त बच्चे/बच्चों के लिए** - पति- पत्नी के निधन/ पुनर्विवाह करने पर - इस प्रकार का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने / पुनर्विवाह की सूचना दिए जाने पर। पति-पत्नी को कुटुंब पेंशन रोक दी जाएगी और सीसीएस(पेंशन) नियमावली,1972के नियम 54 में निर्धारित क्रम में पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे के लिए आजीवन अनुमत की जाएगी।

(iii) **आश्रित माता-पिता के लिए** - पहले माता, फिर पिता - जब (i) और (ii) में से दावेदार की मृत्यु हो जाती है अथवा वो अपात्र हो जाते हैं - पति-पत्नी का मृत्यु प्रमाणपत्र/ पुनर्विवाह की सूचना देने पर और/अथवा सभी स्थाई रूप से निःशक्त बच्चों का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आश्रित माता-पिता को पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा कुटुंब पेंशन अनुमत की जाएगी। यह कुटुंब पेंशन आश्रित माता-पिता के मृत्यु हो जाने तक जारी रहेगी।

(iv) **स्थायी रूप से निःशक्त सहोदर के लिए** - उपरोक्त सभी मामलों में जब कुटुंब पेंशन की अदायगी मृत्यु/पुनर्विवाह के कारण रोक दी जाती है - मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने/ पुनर्विवाह की सूचना देने पर जैसे लागू हो, स्थाई रूप से निःशक्त सहोदर को पेंशन वितरण प्राधिकरण द्वारा कुटुंब पेंशन अनुमत की जाएगी।

6. उपरोक्त पैरा 3 में किए गए प्राधिकरण के आधार पर उन सभी मामलों के लिए जहां सीसीएस (पेंशन) नियमावली,1972 के नियम 54 के अनुसार कुटुंब पेंशन के अन्य पात्र दावेदार हैं, स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/बालकों/ आश्रित माता-पिता/ निःशक्त सहोदर के नाम ठीक पहले वाले पात्र कुटुंब पेंशनर को जारी किए जाने वाले पीपीओ में लिखे जाएंगे। इन स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/बालकों/ आश्रित माता-पिता/ निःशक्त सहोदर को इस ठीक पहले वाले कुटुंब पेंशनर की मृत्यु अथवा अपात्रता, जैसा भी मामला हो, के बाद कुटुंब पेंशन देय होगी।

7. यदि पीपीओ जारी करने के बाद कुटुंब पेंशन के लिए बच्चे,माता-पिता अथवा सहोदर को प्राधिकृत किया जाता है तो ऊपर दर्शाए गए अनुसार पीपीओ में यह प्राधिकरण संशोधित प्राधिकार जारी करके किया जाएगा । संशोधित प्राधिकार सामान्य माध्यम से पेंशन संवितरण अधिकारी के पास भेजा जाएगा । पेंशन संवितरण प्राधिकारी पेंशनभोगी/पति-पत्नी/ कुटुंब के अन्य पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद, जैसा भी मामला हो, पीपीओ/ संशोधित पीपीओ नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन और पेंशनभोगी तथा अन्य कुटुंब पेंशनर्स के मृत्यु प्रमाणपत्र और स्व-सत्यापित आय के आधार पर स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/ सहोदर अथवा आश्रित माता-पिता को कुटुंब पेंशन संवितरित करना शुरू कर सकता है ।

8. इस प्रकार का प्राधिकरण ऐसे मामले में अमान्य हो जाएगा जहां कोई व्यक्ति इस प्रकार के पीपीओ जारी / संशोधित किए जाने के बाद कुटुंब का सदस्य बना है और पेंशनभोगी/पति-पत्नी की मृत्यु के समय निःशक्त बच्चे/ सहोदर/ आश्रित माता-पिता से पहले कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होता है । उदाहरण के लिए, एक पेंशनभोगी पहले पति-पत्नी की मृत्यु के बाद शादी/ पुनर्विवाह कर सकता/सकती है अथवा एक बच्चा गोद ले सकता/सकती है । इस प्रकार के पति-पत्नी/ बच्चे पेंशनभोगी की मृत्यु अथवा पति-पत्नी की मृत्यु/ अपात्रता के समय कुटुंब पेंशन पाने के हकदार होंगे । पेंशनभोगी के पति-पत्नी द्वारा गोद लिए गए बच्चे को मृत पेंशनभोगी के कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा । ऐसे मामलों में कार्यालय प्रमुख द्वारा सीसीएस(पेंशन) नियमावली,1972 के नियम 54 के प्रावधानों के तहत कुटुंब पेंशन दिए जाने संबंधी निर्णय लिया जाएगा ।

9. इन मामलों में बैंक प्राधिकारियों को कुटुंब पेंशन तत्काल मंजूर करने में सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/ इस प्रकार बच्चों / सहोदर / माता-पिता के बैंक खाता खुलवा सकते हैं, पीपीओ/ संशोधित प्राधिकरण में शामिल करने के लिए कार्यालय प्रमुख को यह सूचना दे सकते हैं ।

10. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के संबंध में ये निर्देश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय से परामर्श के उपरांत जारी किए जाते हैं।

सु. चौधरी  
(सुजाशा चौधरी)  
उप सचिव

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि:-

1. महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, 7वां तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली (सामान्य कार्रवाई के अतिरिक्त यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थायी रूप से निःशक्त बच्चों/भाई-बहनों और आश्रित माता-पिता के प्राधिकार को शामिल करने के लिए पीपीओ के फार्मेट में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।)
2. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट-11, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66 (अनुरोध किया जाता है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयों का कार्यान्वयन करने के लिए स्कीम पुस्तिका में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।)
3. राष्ट्रीय ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मानसिक मंद एवं बहु निःशक्त व्यक्ति कल्याण ट्रस्ट, 16 बी, बड़ा बाजार रोड, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली- 110060 (दिनांक 6 मार्च, 2013 के कार्यालय आदेश सं. 1/67/एनएटी/2012 के संबंध में)।

No. 1/27/2011-P&PW (E)  
Government of India  
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions  
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3<sup>rd</sup> Floor, Lok Nayak Bhawan,  
Khan Market, New Delhi  
Dated: 1<sup>st</sup> July, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

[ ]

**Sub:** Simplification of pension process for permanently disabled children/siblings and dependent parents – instructions regarding. This Department's O.M. No.1/19/11-P&PW (E), dated 3.8.2011, O.M. No.1/6/2008-P&PW (E), dated 22.6.2010 and O.M. No.1/21/91-P&PW (E), dated 20.1.93 refer.

The undersigned is directed to state that a number of representations are being received in the Department of Pension & Pensioners' Welfare about the difficulties being faced in getting the revised Pension Payment Orders (PPOs) issued for old parents and disabled children/siblings after the death of the pensioner/family pensioner.

2. The matter has been examined and it has been decided that the employee/pensioner/family pensioner may, at any time before or after retirement/death of employee, make a request to the Appointing Authority seeking advance approval for grant of family pension for life to a permanently disabled child/sibling in terms of provisions contained in rule 54 of the CCS (Pension) Rules, 1972, which are reproduced as under:

*Proviso (iv) to sub-rule 6 (iv): before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy that the handicap is of such a nature so as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of mental or physical disability including mental retardation setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;*

*Sub-rule 10 (B): Family pension to the dependent disabled siblings shall be payable if the siblings were wholly dependent upon the Govt. servant immediately before his or her death and deceased Govt. servant is not survived by a widow or an eligible child or eligible parents.*

3. In terms of sub-rule (10-A) (reproduced below) a request for advance approval to the grant of family pension to the parents may be made to the Head of Office.

*Sub rule 10 A (a): Family pension to the parents shall be payable if the parents were wholly dependent on the Govt. servant immediately before his or her death and the deceased Govt. servant is not survived by a widow or an eligible child.*

*(b): The family pension, wherever admissible to parents, will be payable to the mother of the deceased Govt. servant failing which to the father of the deceased Govt. servant.*

4. On acceptance of such a request, the Head of Office (HOO) will immediately issue a sanction order for grant of family pension to such children/siblings/dependent

parents on their turn. No further authorisation for grant of family pension to the disabled child/sibling/ dependent parents would be required. The HCO and Pay and Accounts Officer (PAO) will maintain the details of such disabled children/siblings/dependent parents in the service book and pension file of the employee/pensioner to enable prompt processing of such requests. On the basis of this approval, the permanently disabled child/sibling/ dependent parents will be authorised to receive family pension at the appropriate time, i.e., after the death of pensioner and/or after the death/ineligibility of any other member in the family eligible to receive family pension prior to the disabled child/sibling/ dependent parents, as explained in the succeeding paragraphs.

5. The name(s) of permanently disabled child/children/siblings and/or dependent parents may be added to the PPO issued to the retiring Government servant if there is no other eligible prior claimant for family pension other than the spouse. No fresh PPO need to be issued in such cases and the family pension will be payable by the pension disbursing authority in the following order and the following manner:

- (i) To the spouse – on the death of the pensioner – on production of death certificate of pensioner. This family pension will continue till death or remarriage of spouse. In the case of a childless widow, the family pension may continue even after her re-marriage as per rules.
- (ii) To the permanently disabled child/children – on the death/remarriage of spouse – on production of such death certificate/remarriage-intimation. Family pension to the spouse will be discontinued and family pension would be allowed by the PDA for life for permanently disabled children in the order prescribed in Rule 54 of the CCS (Pension) Rules, 1972.
- (iii) To the dependent parents – first mother, then father – when claimants in (i) and (ii) die or become ineligible – on production of death certificate/remarriage-intimation of spouse and/or death certificates of all permanently disabled children, family pension would be allowed by the PDA to dependent parents. This family pension would continue till death of the dependent parents.
- (iv) To the permanently disabled sibling/s – when family pension to all above ceases to be payable on account of death/re-marriage – on production of death certificates/ remarriage-intimation as applicable, the family pension will be allowed by PDA to the permanently disabled siblings.

6. For all other cases where there are other eligible prior claimants to family pension in accordance with rule 54 of CCS (Pension) Rules, 1972, the names of disabled child/children/dependent parents/permanently disabled sibling will be added to the PPO issued to the preceding eligible family pensioner, based on the authorisation made as in para 3 above. Family pension to these permanently disabled child/children/siblings /dependent parents will be payable after the death/ineligibility of the prior claimant, as the case maybe.

7. The authorisation as indicated above shall be made in the PPO or by issuing a revised authority if a child, parents or sibling is authorised for family pension after issue of the PPO. The revised authority shall take the usual route to the pension disbursing authority. The Pension Disbursing Authority shall start disbursing family pension to the permanently disabled child/sibling or dependent parents after the death of the pensioner/spouse/other family pensioner, as the case may be, on the basis of the PPO/revised PPO, approval of the appointing authority and the death certificate(s) of the pensioner and other family pensioners and the self-certificate for income.



8. Such an authorisation shall become invalid in case a person becomes member of family after issue/amendment of such PPO and is entitled to family pension prior to the disabled child/sibling/dependent parents at the time of the death of the pensioner/spouse. For example, the pensioner may marry/remarry after the death of first spouse or adopt a child. Such spouse/child may be eligible for family pension at the time of death of the pensioner or death/ineligibility of the spouse. A child adopted by the spouse of the pensioner shall not be treated as a member of the family of the deceased pensioner. A decision regarding grant of family pension in such cases will be taken by the Head of Office in accordance with the provisions of rule 54 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

9. In order to facilitate the Bank Authorities to promptly sanction the family pension in such cases, the Govt. Employees/pensioners/their spouses may open a bank account of such children/siblings/parents and indicate this information to the Head of Office for inclusion in the PPO/revised authority.

10. As regards pensioners/family pensioners belonging to the Indian Audit and Accounts Departments, these instructions issue after consultation with the Office of Comptroller and Auditor General of India.

O/C

*Sujasha Choudhury*  
(Sujasha Choudhury)  
Deputy Secretary

All Ministries/Departments of the Government of India

*by message  
P.S to 01/13*

Copy to:-

1. O/o CGA, 7<sup>th</sup> Floor, Lok Nayak Bhavan, New Delhi. (Apart from the usual action, it is also requested to make necessary amendments in the format of the PPO to accommodate authorisation of the permanently disabled children/siblings and dependent parents.)

2. CPAO, Trikot-II, Bhikaji Karna Place, New Delhi-66 (It is requested to make necessary amendments in the Scheme Booklet to facilitate implementation of the above decisions).

3. National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, 16-18, Bala Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060 (w.r.t DO No. 1/67/NA1/2012, dated 6<sup>th</sup> March, 2013).

*11/4/13*

01 : 01 : 01